राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः– प.1 (114)राज–6/15/11 जयपुर, दिनांकः– 11/9/17

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः– शामलात भूमि (common land) अतिक्रमण की बेदखली के लिए योजना।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में व्यापक प्रावधान किये हुए है। धारा 91 के तहत यदि कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के कब्जा करता है या कर रखा है तो तहसीलदार ऐसे गैर कानूनी कब्जों को हटाने हेतु सक्षम है। ऐसे प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमे पूरे साल या उसके भाग में अतिक्रमी रहा हो, तो वह प्रथम कृत्य के लिए वार्षिक लगान का 50 गुना तक जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा।

धारा 91 की उप–धारा (2) में यह भी प्रावधान है कि द्वितीय अतिक्रमण या इसके बाद के अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को 3 माह तक के लिए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। इस प्रावधान के उपयोग करने से पहले यह आवश्यक भी है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जावे।

धारा 91 की उप–धारा (6) के खण्ड (क) मे यह प्रावधान है कि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के नोटिस देने के बावजूद 15 दिन के अन्दर अतिक्रमी यदि कब्जा नही छोडता है तो दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से जो एक माह से कम नही होगा किन्तु 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना, जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, की सजा से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 91 की उप–धारा (6) के खण्ड (ख) में यह प्रावधान भी है कि जिला कलक्टर के लिखित आदेश के बावजूद यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जानबूझकर अथवा जानकारी में होते हुए भी इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जे को रोक पाने या हटाने मे लापरवाही बरतता है तथा जानबूझकर गेर कानूनी कब्जे को नही हटाता है, तो उसे एक माह का कारावास या 1000/– का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है परन्तु उक्त प्रावधानो का उपयोग अपवाद स्वरूप ही किया जाता है। जबकि कठोर प्रावधान करने का उद्देश्य ही यह था कि अतिक्रमण की प्रवृति पर रोक लगाई जा सके।

उक्त प्रावधान के बावजूद भी प्रायः यह देखा गया है कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली का आदेश तो कर देते है परन्तु इसकी कियान्विति नही करते है जिससे बेदखली आदेश कागजों पर ही रह जाती है। परिणास्वरूप लोगो में अतिक्रमण की प्रवृति बढती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 उनवान जगपाल सिहं बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 में निर्देशित किया गया कि:–

> "....All the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/ Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) सं0 8045/2014 में पारित आदेश दिनांक 7.11.2016 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 उनवान जगपाल सिहं बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना की कियान्विति हेतु आदेशित किया है कि "the State Government will come out with the policy within a period of four months from today"। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2011 में प्रदत्त निर्देशों एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को प्रभावीरूप से लागू करने के लिए अवैध/अनाधिकृत कब्जधारियो को ऐसी भूमि से बेदखल करने के लिए एक व्यापक योजना बनाया जाना अपेक्षित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत विद्यमान प्रावधानों की कठोरता से पालना किये जाने के कम में निर्देशित किया जाता है कि

(1) संबंधित तहसील का तहसीलदार शामलात भूमि, चारागाह भूमि, पथ, तालाब, श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं ग्रामीणों के सार्वजनिक उपयोग की अन्य भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करेगा।

(2) संबन्धित उपखण्ड अधिकारी भी अपने उपखण्ड क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि को चिन्हित करने के लिए उत्तरदायी होगें। वह ऐसी चिन्हित भूमियों से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु रिपोर्ट संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित करेगें।

(3) कलक्टर इस योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायीं होगें। वह इस उददेश्य के लिए किसी अन्य विभाग, संगठन या राज्य सरकार की एजेंसी से, जिसे वह आवश्यक समझें, सहायता लेने हेतु अधिकृत होगें।

(4) संबधित जिले का कलक्टर उनके द्वारा संकलित की गई सूचनाओं के आधार पर प्रकरणों की सूची अन्य अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों के माध्यम से तैयार करेगें। यह सूची तीन माह मे पूर्ण की जायेगी।

(5) अवैध अतिक्रमण की भूमियों को चिन्हित किये जाने के पश्चात संबंधित तहसीलदार अवैध कब्जेधारियों को ऐसी भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं इस विषय परं समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं निर्देशों के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करेगें।

(6) अवैध कब्जेधारी को बेदखल करने के पश्चात तहसीलदार भूमि का कब्जा सबंधित पंचायत अथवा विहित प्राधिकारी को नियमानुसार सुपुर्द करेगें।

(7) समस्त राजस्व अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में इस योजना को अक्षरशः लागू करने के लिए दायित्वाधीन होगे एवं इस संबंध में किसी भी अधिकारी द्वारा की गई उपेक्षा के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(8) अवैध अतिक्रमण हटाने का पर्यवेक्षण सम्भाग स्तर पर संभागीय आयुक्त द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(9) यह जिला कलक्टर का कर्तव्य होगा कि वह राजस्व अधिकारियों के माध्यम से शामलात भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में इलक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया द्वारा लोगों को जागरूक करेगें।

(10) आम आदमी को यह भी सूचित किया जाये कि शामलात भूमि पर कानून एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उल्लघन में किये गये ऐसे अतिक्रमण के लिए वह विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने के लिए भागी होगा।

(11) इस योजना की राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में बिना किसी ढिलाई के अक्षरशः पालना की जायेगी। किसी प्रकार की अनुपालना नही करना अथवा ढिलाई को गम्भीरता से लिया जायेगा।

(12) बेदखली के आदेश के साथ ही अतिक्रमी को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया जाए। यदि इस बेदखली में पुलिस बल की आवश्यकता हो तो इसके लिए पुलिस विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

आज्ञा से,

11/9/17

(प्रेम सुख बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. सयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पंजीका।

संयुक्त शासन सचिव